



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03112021-230950
CG-DL-E-03112021-230950

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4237]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 3, 2021/कार्तिक 12, 1943

No. 4237]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 3, 2021/KARTIKA 12, 1943

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2021

का.आ. 4598(अ).—केंद्रीय सरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 29 के उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात का समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है; उक्त अधिनियम की अनुसूची-I में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची-I के पैरा-4 के उप-पैरा 1 की मद (IV) के उप-मद (ii) में "असंबद्ध ग्रामों" शब्दों के स्थान पर "असंबद्ध ग्रामों और सीमावर्ती क्षेत्रों" रखा जाएगा।

[फा. सं. जे-11017/06/2021-आरई-VII]

रोहित कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की अनुसूची-I का पहला संशोधन अधिसूचना संख्या का.आ. 323(अ), दिनांक 06 मार्च, 2007 द्वारा किया गया और अधिसूचना संख्या का.आ. 2198(अ), दिनांक 02 जुलाई, 2020 के द्वारा अंतिम संशोधित किया गया।

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2021

S.O. 4598(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), the Central Government being satisfied that it is necessary and expedient to do so, hereby makes the following further amendments to Schedule I of the said Act, namely:-

2. In the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005, in SCHEDULE I, in paragraph 4, in sub-paragraph (1), in item (IV), in sub-item (ii), for the words “**unconnected villages**” the words “**unconnected villages and border areas**” shall be substituted.

[F. No. J-11017/06/2021-RE-VII]

ROHIT KUMAR, Jt. Secy.

Note : SCHEDULE I of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005) was first amended vide notification number S.O. 323 (E), dated 6th March, 2007 and lastly amended vide notification number S.O. 2198 (E), dated the 2nd July, 2020.